

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 696

दिनांक 04/04/2022

प्रार्थी :-

1. लुम्बाराम पुत्र किशनाराम,
जाति जाट, निवासी राणातली,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. गोरखाराम 2. रामाराम 3. गोसाईराम 4. सोनाराम
पि. गिरधारीराम 5. सुखाराम 6. राजूराम 7. करनाराम
पि. हनुमानराम, जाति जाट, निवासी राणातली
8. कायम 9. कम्भीर 10. रहमानं पि. सुमार
जाति मुसलमान, निवासी राणातली
11. चूनीदेवी पत्नि जुगताराम
जाति मेगवाल, निवासी तमाची की गफन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 98/2021

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र भोजारिया के मौजा राणातली के खेत खसरा सं. 501 रकबा 42.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 697 to 700

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी लुम्बाराम
3. विप्रार्थीगण गोरखाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 04/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
- चौहटन -